अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमण्डल, सहरसा

ऑगनबाड़ी अपील वाद संख्या 28–51/2012

सुमित्रा देवी – अपीलार्थी

वनाम

राज्य – रेस्पोण्डेन्ट

–: आदेश :–

प्रस्तुत ऑगनबाड़ी अपीलवाद अपीलकर्त्ता द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के आदेश ज्ञापांक 1621–1 आई.सी.डी.एस. सहरसा दिनांक 29.09.2012 अन्दर वाद संख्या62/2012–13 में पारित चयनमुक्ति आदेश के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में आंगनबाड़ी अपील वाद संख्या 28/2012 दायर किया गया है जो स्थानान्तरित होकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

उक्त अपीलवाद नवहट्टा परियोजना अन्तर्गत शाहपुर पंचायत ऑगनबाड़ी केन्द्र–रायटोला, शाहपुर केन्द्र संख्या–57 से संबंधित है ।

वाद पुकारा गया । उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का सुक्ष्म अवलोकन किया ।

प्रस्तुत अपीलवाद सुनवाई के क्रम में निम्न न्यायालय के आदेश के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा 04.09.2012 को उक्त ऑगनबाड़ी केन्द्र का निरीक्षण किया गया वो निरीक्षण के क्रम में ऑगनबाड़ी केन्द्र संचालन में यथाकथिकत निम्नलिखित अनियमितता/त्रुटियॉ पायी गई:–

1. सेविका अनुपस्थित थी ।
2. केन्द्र पर उपस्थित बच्चों की संख्या 29 थी ।
3. केन्द्र पर स्कूल पूर्व शिक्षा पंजी, पोषाहार पंजी एवं उपस्थिति पंजी को

छोड़कर कोई पंजी उपलब्ध नहीं था ।

4. पोषाहार कम मात्रा में बन रहा था ।

5. ऑगनबाड़ी सहायिका एवं बच्चे पोषाक में नहीं थे ।

ऑगनबाड़ी केन्द्र संचालन में बरती गई यथाकथित अनियमितता/त्रुटियों के आलोक में ऑगनबाड़ी सेविका श्रीमती अलका कुमारी एवं ऑगनबाड़ी सहायिका श्रीमती सुमित्रा देवी से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के ज्ञापांक 1455–1, दिनांक 08.09.2012 द्वारा सुनुवाई की तिथि निर्धारित करते हुए स्पष्टीकरण समर्पित करने एवं सुनवाई की तिथि उपस्थित होने के लिए नोटिश दी गई । उक्त आलोक में आरोपी अपीलार्थी द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि दिनांक 15.09.2012 को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा सुनवाई की गयी । सुनवाई के बाद स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाये जाने पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अपीलार्थी को चयनमुक्त कर दिया गया जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में अपीलवाद दायर करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के दौरान यथाकथित आरोपों के संबंध में कथन करते हैं आरोप सं0 01 सहायिका पर नहीं हैं तथा आरोप संख्या 02 के संबंध में कथन करते है कि ऑगनबाड़ी केन्द्र में सहायिका अकेले रहने के बावजूद बच्चों की संख्या 29 थी जिससे पता चलता है कि केन्द्र नियमित संचालित की जाती है । अतः यह आरोप उचित प्रतीत नहीं होता है ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के दौरान आरोप संख्या 03 के संबंध में कथन करते हैं कि प्रशिक्षण में जाने से पूर्व सेविका द्वारा अपीलार्थी सुमित्रा कुमारी को जो आवश्यक पंजियॉ उपलब्ध कराया गया था उसे अपीलार्थी द्वारा निरीक्षण पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया गया था जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी पर यह आरोप सही नहीं है ।

अपीलार्थी पर लगाए गए आरोप संख्या 04 के संबंध अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि निरीक्षण पदाधिकारी द्वारा कम मात्रा में पोषाहार बनने की बात कही गई है । निरीक्षण के समय रसियाव बनाने हेतु चावल डाला ही गया था तथा बर्तन का आकार बड़ा होने के कारण मात्रा कम लग रहा था जबकि उनके द्वारा निर्धारित मात्रा में पोषाहार बनायी जा रही थी। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कथन है कि जॉच

पदाधिकारी द्वारा पोषाहार कम होने का उल्लेख यथाकथित आरोप संख्या 04 में अंकित है परन्तु यह उल्लेख नहीं किया गया है कि पोषाहार कितनी कम मात्रा में बनाया जा रहा था, जबकि विभागीय निदेश के अनुसार जॉच के क्रम में पोषाहार की मात्रा का उल्लेख करना आवश्यक होता है। अतः पोषाहार कम मात्रा में बनने का आरोप युक्तिसंगत नहीं है ।

अपीलार्थी पर लगाए गए आरोप संख्या 05 के संबंध में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी द्वारा यूनिफार्म को धो दिया गया था जिस कारण वे यूनिफार्म में नहीं थी । बच्चों को पोशाक की राशि सात माह पूर्व दी गई थी । एक ही पोशाक रहने के कारण कुछ बच्चे का पोशाक धुलाई कर दिया गया था वो कुछ बच्चे का पोशाक फट गया था जिसके कारण कुछ बच्चे पोशाक में नहीं थे तथा कुछ बच्चे पोशाक में उपस्थित थे । उक्त आरोप सहायिका पर नहीं बनता है।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता सरकार के पक्ष में बहस करते हैं।

उभय पक्षों को विज्ञ अधिवक्ता को सुना । अभिलेखीय साक्ष्यों, अपीलवाद के तथ्यों, निम्न न्यायालय अभिलेख तथा अपीलार्थी के स्पष्टीकरण का सुक्ष्म अवलोकन किया। निम्न न्यायालय के अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि संबंधित ऑगनबाड़ी केन्द्र के जॉच पदाधिकारी का जॉच प्रतिवेदन का नहीं होना परिलक्षित हो रहा है । विभागीय निदेशानुसार विहित प्रपत्र में जॉच पदाधिकारी को जॉच प्रतिवेदन समर्पित करना आवश्यक है क्योंकि उसी आधार पर आरोपी के विरूद्ध अग्रेतर कार्रवाई की जाती है।

अतः निम्न न्यायालय अभिलेख में निरीक्षण पदाधिकारी का संबंधित ऑगनबाड़ी केन्द्र के जॉच प्रतिवेदन के अभाव में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही प्रतीत नहीं होता है । अस्तु मामले की पुनः जॉच एवं सुनवाई कर सरकार द्वारा इस संबंध दिए गए निर्देश के आलोक में समुचित आदेश पारित करने हेतु निम्न न्यायालय को **Remand** किया जाता है

लेखापित एवं संशोधित ,

10/2/14

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।

10/2/14

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।